रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एन.-अ.-19122024-259497
CG-TN-E-19122024-259497

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 997] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 17, 2024/अग्रहायण 26, 1946
No. 997] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 17, 2024/AGRAHAYAN 26, 1946

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

अधिसूचना

चेन्नई, 10 दिसम्बर, 2024

फा.सं. आईएमयू/मुख्यालय/एडीएम/अधिसूचना/2024/02.—भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (2008 का 22) की धारा 47(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिसूचना सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:

#	क़ानून/अध्यादेश/ अधिसूचना	विवरण	कार्यकारी परिषद संकल्प
1	2024 का अध्यादेश 03	**धर्मादा और दान की स्वीकृति के लिए नियम और शर्तें**	[ईसी 2015-30-16 दिनांक 25-02-2015, ईसी 2024-77-27 दिनांक 07-05-2024 द्वारा संशोधित]

ध्यान दें: इस दस्तावेज़ के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

2024 का अध्यादेश 03

[**2015 का अध्यादेश 04 -** ईसी 2015-30-06 दिनांक 25-02-2015, ईसी 2024-77-27 दिनांक 07-05-2024 द्वारा संशोधित]

"धर्मादा और दान की स्वीकृति के लिए नियम और शर्तें"

A. पदकों और पुरस्कारों या छात्रवृत्तियों या भाषणों के लिए धर्मादा के नियम और शर्तें

1. मौद्रिक धर्मादा की विभिन्न श्रेणियों का विवरण निम्नलिखित है:

	पदक या पुरस्कार	*छात्रवृत्ति*	*भाषण*
न्यूनतम धर्मादा [न्यूनतम से कम मूल्य वाले किसी भी प्रस्ताव को दान के रूप में माना जा सकता है]	पदक या पुरस्कार के लिए धर्मादा रु. 1.00 लाख होगा।	छात्रवृत्ति के लिए धर्मादा रु. 3.00 लाख होगा।	छात्रों के लाभ के लिए आईएमयू में दिए जाने वाले भाषण के लिए धर्मादा रु. 5.00 लाख होगा।
मूल्यवर्ग एवं अधिकतम	*10000 के गुणज में. कोई अधिकतम सीमा नहीं*		
उदाहरण	रु. 1.00 लाख के न्यूनतम धर्मादा के लिए - 8% प्रति वर्ष की सावधि जमा ब्याज दर मानते हुए - लगभग रु. 8,000 का एक पदक / पुरस्कार दिया जा सकता हैं।	रु. 3.00 लाख के न्यूनतम धर्मादा के लिए - 8% प्रति वर्ष की सावधि जमा ब्याज दर मानते हुए - लगभग रु. 24,000 की छात्रवृत्ति दी जा सकती हैं।	रु. 5.00 लाख के न्यूनतम धर्मादा के लिए - 8% प्रति वर्ष की सावधि जमा ब्याज दर मानते हुए - रु. 40,000 की अनुमानित लागत का एक भाषण, एक वर्ष में भाषण की ओर खर्च हो सकते हैं

2. धर्मादा के प्रयोजन के लिए वर्ष, शैक्षणिक वर्ष होगा।

3. राशि को आईएमयू द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा में इस तरह से जमा किया जाएगा कि सावधि जमा पर मिलने वाले ब्याज को यथासंभव अधिकतम किया जा सके।

4. सावधि जमा से वार्षिक ब्याज का उपयोग हर वर्ष पदक और पुरस्कार / छात्रवृत्ति / भाषण के लिए किया जाएगा।

5. यदि पुरस्कार प्राप्तकर्ता को अन्य उपहार / पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं, तो मोटे तौर पर दाता के इरादे के अनुरूप, कुलपति के अनुमोदन से एक उपयुक्त पद्धति अपनाई जाएगी।

6. पदक या पुरस्कार / छात्रवृत्ति / भाषण का नाम, इसका उद्देश्य, और छात्रों / दर्शकों का वह वर्ग जिन्हें यह दिया जा सकता है, दानकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। आईएमयू आम तौर पर इस संबंध में दाता के अनुरोध को स्वीकार करेगा। हालाँकि, आईएमयू धर्मादा को अस्वीकार करने या नाम या उद्देश्य या छात्रों / दर्शकों के उस वर्ग में उपयुक्त संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिन्हें पदक या पुरस्कार / छात्रवृत्ति / भाषण दिया जाना चाहिए, यदि दाता द्वारा जो प्रस्तावित किया गया था उसे सामाजिक सद्भाव या कानून और व्यवस्था या शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिकूल माना जाता है या लागू करना अव्यावहारिक / असंभव है।

7. ऊपर (6) में उल्लिखित के अधीन, दाता को सूचित करते हुए पदक या पुरस्कार / छात्रवृत्ति / भाषण के लिए छात्रों का चयन करना आईएमयू का विशेषाधिकार होगा।

8. आईएमयू द्वारा धर्मादा के लिए, पदक या पुरस्कार / छात्रवृत्ति / भाषण आम तौर पर निधि की प्राप्ति के वर्ष के तुरंत बाद शैक्षणिक वर्ष से दिया / आयोजित किया जाएगा। यदि दाता चाहता है कि पदक या पुरस्कार / छात्रवृत्ति / भाषण स्वीकृति की तारीख से एक वर्ष के भीतर यानी धर्मादा के निर्माण के वर्ष में दिया / आयोजित किया जाए, तो पदक या पुरस्कार / छात्रवृत्ति / भाषण के मूल्य के बराबर अतिरिक्त राशि दी जानी है।

9. दो या दो से अधिक दाता संयुक्त रूप से एक धर्मादा स्थापित कर सकते हैं।

10. यदि किसी कारण से किसी विशेष वर्ष में पदक या पुरस्कार / छात्रवृत्ति / भाषण नहीं दिया / आयोजित नहीं किया जा सका, तो आईएमयू इसे यथाशीघ्र देने की व्यवस्था करेगा।

11. यदि किसी कारण से किसी वर्ष के दौरान कोई भी छात्र पदक या पुरस्कार / छात्रवृत्ति प्राप्त करने के योग्य नहीं पाया जाता है और यदि किसी वर्ष के दौरान कोई भाषण आयोजित नहीं किया जा सका या कोई अन्य बचत हो, तो ऐसी बचत को सावधि जमा के मूलधन में जोड़ा जाएगा।

B. धर्मादा के अन्य रूपों से संबंधित नियम और शर्तें

1. अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए धर्मादा बनाई जा सकती है, जिसका उद्देश्य छात्रों का समग्र विकास करना है।

2. विश्वविद्यालय टर्म एंडोमेंट (अवधि धर्मादा) को स्वीकार कर सकता है जो एक विशिष्ट अवधि के लिए स्थापित की जाती है और जब अवधि समाप्त हो जाती है, तो योगदान की गई मूल राशि का उपयोग संचालन को निधि देने के लिए किया जा सकता है।

3. विश्वविद्यालय अर्ध धर्मादा स्वीकार कर सकता है जो विश्वविद्यालय को सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर किसी भी समय संपूर्ण मूलधन और आय खर्च करने में सक्षम बनाएगा।

C. दान से संबंधित नियम और शर्तें

1. आईएमयू धर्मादा के अलावा दान प्राप्त कर सकता है जिसका उपयोग सीधे सामान्य गतिविधियों या दानकर्ता की इच्छानुसार और आईएमयू द्वारा स्वीकार्य किसी विशिष्ट गतिविधि को निधि देने के लिए किया जा सकता है।

2. दाता द्वारा अनुमति दिए जाने पर मूल राशि का भी उपयोग किया जा सकता है।

3. दान के प्रकार जो स्वीकार किये जा सकते हैं;

i. मौद्रिक दान:

पैरा D (xvi) में निर्दिष्ट तरीकों के अनुसार बैंक के माध्यम से आईएमयू के निर्दिष्ट खाते में पैसे स्थानांतरित किए जा सकते है।

ii.गैर-मौद्रिक दान या वस्तुगत दान

आईएमयू निम्नलिखित गैर-मौद्रिक रूपों में दान प्राप्त कर सकता है:

a) शेयर और प्रतिभूतियां [नोट- *1*]: दाता शेयरों/प्रतिभूतियों के उपयोग और बिक्री के नियमों और शर्तों को परिभाषित कर सकता है। यदि दाताओं द्वारा परिभाषित ऐसी कोई शर्तें नहीं हैं, तो कार्यकारी परिषद को यह तय करने का अधिकार होगा कि कितना और कब बेचना है और कितना उपयोग भी करना है।

b) रियल एस्टेट (अचल संपत्ति) / व्यक्तिगत संपत्ति - संपत्ति को छोटी/दीर्घकालिक पट्टे के लिए दिया जा सकता है या स्थायी रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है। आईएमयू को अचल संपत्ति देने के लिए कई विकल्प हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि दाता उस उपहार से किसको समर्थन देना चाहता है। उदाहरण के लिए, यदि दाता की रुचि छात्र की छात्रवृत्ति या सहायता में है, तो संपत्ति बेच दी जाएगी और आय एक धर्मादा स्थापित करने में जाएगी जो छात्रों के लिए वित्तीय सहायता का समर्थन करेगी। यदि दाता की इच्छा है कि उसकी संपत्ति का उपयोग इस तरह से किया जाए जिससे अनुसंधान और शिक्षा को समर्थन मिले, तो दाता और आईएमयू के बीच एक समझौता तैयार किया जाएगा जो भूमि का उपयोग कैसे और कितने समय तक किया जाएगा, इसके संबंध में अपेक्षाओं और दायित्वों की रूपरेखा तैयार करता है। अचल संपत्ति के रूप में दान को वित्त समिति और कार्यकारी परिषद की मंजूरी के साथ व्यक्तिगत रूप से निपटाया जाएगा।

c) नियोजित दान: आईएमयू बीमा पॉलिसियों और विरासत के लाभार्थी के रूप में। [नोट- *1*]

d) पुस्तकें और मैनुस्क्रिप्ट: विश्वविद्यालय पुस्तकालय दाताओं से पुस्तकें प्राप्त कर सकता है, जिनमें दुर्लभ पुस्तकें और पांडुलिपियाँ भी शामिल हैं। स्वीकृत सामग्री अच्छी स्थिति में होनी चाहिए: साफ, कवर लगे हुए, अक्षुण्ण बाइंडिंग, कोई ढीले पन्ने नहीं और पानी या फफूंद से कोई सक्रिय या पिछली क्षति नहीं होनी चाहिए। ये दान आईएमयू के हितों के लिए प्रासंगिक होने चाहिए।

e) प्रयोगशाला उपकरण:

- दान किए जाने वाले उपकरण अच्छी स्थिति में होने चाहिए और आईएमयू के लिए प्रासंगिक होने चाहिए।
- उपकरण पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन करेगा, और संदूषण, विषाक्त तेल और गैस अपशिष्ट, विकिरण और अन्य संभावित खतरों से मुक्त होगा। विश्वविद्यालय को इस संबंध में उपकरणों का निरीक्षण करने का अधिकार है।
- उपकरण के दान को किसी विशेष विभाग, अनुसंधान केंद्र या संकाय सदस्य द्वारा उपयोग के लिए निर्देशित किया जा सकता है। हालाँकि, आईएमयू बिना किसी अपवाद के दान किए गए सभी उपकरणों का मालिक होगा। दान किए गए उपकरण संकाय, कर्मचारियों या छात्रों की संपत्ति नहीं होंगे, भले ही वे दान के लिए प्राथमिक संपर्क या वितरण बिंदु और नामित अंतिम उपयोगकर्ता रहे हों।
- यदि दान किया गया उपकरण काम करना बंद कर देता है, तो विश्वविद्यालय को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ इसकी मरम्मत या निपटान करने का अधिकार है।

f) कोई अन्य मूर्त संग्रह।

g) विल/वसीयत के माध्यम से दान

कोई व्यक्ति विल में दान/उपहार को अप्रतिबंधित या प्रतिबंधित करना चुन सकता है।

विल में छोड़े जा सकने वाले पाँच मुख्य प्रकार के उपहार हैं:

- अवशिष्ट
- प्रतिशत या आंशिक
- संपत्ति का संपूर्ण या आंशिक भाग
- आर्थिक या विशिष्ट
- धर्मादा उपहार

विल/वसीयत का मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक होने की स्थिति में, इस स्वरुप का दान वित्त समिति और कार्यकारी परिषद की मंजूरी के साथ व्यक्तिगत रूप से निपटाया जाएगा।

[***नोट-1:*** *इन दो तरीकों को स्वीकार करना आईएमयू/कुलपति द्वारा आगे के दिशानिर्देश तैयार करने के अधीन होगा।]*

iii. जब कोई दाता विश्वविद्यालय को दान करता है, तो दाता उस दान के उपयोग के लिए शर्तें प्रदान कर सकता है। यदि शर्तें किसी विशेष उद्देश्य को निर्दिष्ट करती हैं, तो धनराशि उस उद्देश्य तक "प्रतिबंधित" होती है। यदि दाता की शर्तें दान को विश्वविद्यालय के भीतर व्यापक रूप से उपयोग करने की अनुमति देती हैं, तो इसे "अप्रतिबंधित" माना जाता है। मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों दान या तो प्रतिबंधित या अप्रतिबंधित हो सकते हैं।

4. संभावित गतिविधियाँ जो इस प्रकार बनाई गई धनराशि से की जा सकती हैं/दान और अन्य प्रकार के धर्मादा से प्राप्त धनराशि का उपयोग:

i. कोई भी गतिविधि जो विश्वविद्यालय में शैक्षणिक/अनुसंधान को बढ़ाती हो।

ii. ऐसे केंद्रों का निर्माण और संचालन जो भारत सरकार/मंत्रालय की योजना या विश्वविद्यालय के समग्र दृष्टिकोण, मिशन और उद्देश्यों के अनुरूप हों।

iii. निजी क्षेत्र के सहयोग से अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं, जिसके लिए बुनियादी ढांचा और छात्र विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए जा सकते हैं। छात्रों को विशेषज्ञ पर्यवेक्षण के तहत नवीनतम तकनीकों के साथ अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का संचालन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

iv. विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक गतिविधियों/विकास को करना।

v. उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए गतिविधियाँ/विकास करना जिसके लिए दान प्राप्त हुआ है।

vi. ऐसी गतिविधियों/विकास को पूरा करने के लिए जिनके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) की आवश्यकता होती है।

vii. ऐसी गतिविधियों/विकास को पूरा करने के लिए जो वीजीएफ के साथ भी व्यवहार्य नहीं हैं लेकिन वार्षिकी मॉडल के तहत कार्यान्वित की जा सकती हैं।

5. दाताओं को मान्यता

i. विश्वविद्यालय के पास दान के लिए नामकरण अवसरों के विकल्प भी होंगे।

   a. दानकर्ता किसी कक्षा, प्रयोगशाला या मौजूदा भवन के एक विंग को नाम दे सकते हैं।

   b. किसी स्कूल या अकादमिक प्रभाग या कार्यक्रम को अनुदान दें और उसका नाम रखें।

ii. सभी दान जिनके लिए नामकरण की आवश्यकता है, उन्हें आईएमयू की वित्त समिति और कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जिसमें किसी स्कूल, विभाग, संकाय, अध्यक्ष या किसी बुनियादी ढांचे के नामकरण की आवश्यकता वाले दान के मामले भी शामिल हैं।

iii. आईएमयू, समय-समय पर, अवसर नामोल्लेखन के लिए न्यूनतम दान स्तर निर्धारित करेगा।

iv. यदि कोई दाता जिसे विश्वविद्यालय द्वारा नामकरण का अवसर दिया गया है, उसकी बदनामी होती है, तो विश्वविद्यालय संबंधित नाम का उपयोग बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

v. छोटे दान के लिए, जो उपरोक्त खंड 5 (i) और (ii) में शामिल नहीं है, कुलपति के अनुमोदन से पावती प्रदर्शित की जा सकती है।

D. <u>दान और धर्मादा के लिए व्यापक योजना और अन्य सामान्य नियम और शर्तें:</u>

<u>चीज़ों की व्यापक योजना:</u>

i. विश्वविद्यालय एक इच्छा सूची तैयार करेगा और वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा। सूची उदाहरणात्मक होगी, विस्तृत नहीं।

ii. किसी भी दान को स्वीकार करने से पहले निम्नलिखित बिंदुओं का आकलन किया जा सकता है;

a) क्या दान का उद्देश्य और शर्तें विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुकूल हैं?

b) क्या वे उचित और टिकाऊ हैं?

iii. सभी धर्मादा और दान का उपयोग केवल भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, इसके कार्यक्रमों, इसके संकाय, कर्मचारियों और छात्रों के लाभ के लिए किया जाएगा।

iv. सभी निधियों का उपयोग दानदाताओं के इरादे के अनुसार, यथासंभव और आईएमयू मानदंडों और उद्देश्यों के अनुरूप किया जाएगा।

v. निधि के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कुलपति द्वारा अनुमोदित एक समिति होनी चाहिए। समिति के उत्तरदायित्व निर्धारित किये जायेंगे। हर छह महीने में परिसर स्तरीय रिपोर्ट समिति को भेजी जाएगी।

vi. यदि दाता समझौतों में सलाहकार बोर्ड की सदस्यता या मालिकाना अनुसंधान तक पहुंच जैसी शर्तें या प्रावधान शामिल हैं, तो आईएमयू यह निर्धारित करेगा कि शर्तें स्वीकार्य हैं या नहीं और तदनुसार धर्मार्थ दान को स्वीकार या अस्वीकार कर देगा।

vii. दान/धर्मादा से प्राप्त धन से विशेष रूप से की जाने वाली खरीद के मामले में, निधि का दाता कार्य का दायरा, एकल स्रोत सहित खरीद की विधि, विक्रेता की पात्रता तय कर सकता है, बशर्ते कुलपति के अनुमोदन से आईएमयू द्वारा कार्य की आवश्यकता को उचित ठहराया गया हों।

viii. प्रत्येक मौद्रिक धर्मादा निधि / दान के लिए, एक अलग निधि / बही बनाई जाएगी जिसे धर्मादा निधि / दान के उद्देश्य के लिए तब तक निर्धारित किया जाएगा जब तक कि धर्मादा निधि/बही का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो जाता। दान की गई परिसंपत्ति / इन्वेंटरी को परिसंपत्ति रजिस्टर या परिग्रहण रजिस्टर या इन्वेंटरी रजिस्टर या एस्टेट रजिस्टर, जैसा लागू हो, में जोड़ा जाएगा। परिसंपत्ति का प्रशासन और स्वामित्व हमेशा आईएमयू के पास रहेगा।

ix. आईएमयू में धर्मादा बनाने या दान करने का इरादा रखने वालों को दान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए मुख्यालय में नोडल कार्यालय या परिसर निदेशकों से सीधे संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विश्वविद्यालय दाता की आवश्यकताओं के अनुरूप विकल्पों को अनुकूलित करने में सहायता करेगा।

<u>अन्य सामान्य नियम एवं शर्तें</u>

x. सभी धर्मादा और दान विश्वविद्यालय की लागू नीतियों द्वारा शासित होंगे।

xi. आईएमयू में एक बार बनाया गया धर्मादा / दान अपरिवर्तनीय है और दाता या उसके उत्तराधिकारी / वारिस / समनुदेशिती इसे वापस करने के लिए नहीं कह सकते हैं। एक धर्मादा / दान तब बनाया हुआ माना जाता है जब आईएमयू ने दाता को एक पत्र जारी हों, जिसमें उसे उसके धर्मादा / दान की स्वीकृति के बारे में सूचित किया गया हों।

xii. आईएमयू को, अधिमानतः दाता / दानकर्ता के परामर्श से, दान या धर्मादा के उद्देश्य के संबंध में परिवर्तन करने की शक्ति होगी, जो संबंधित धर्मादा या दान का उपयोग करने का एक उपयुक्त या प्रभावी तरीका प्रदान करने के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद हो गया है और विश्वविद्यालय धर्मादा या दान के मूल उद्देश्य के समान यथासंभव ऐसे उद्देश्यों के लिए धर्मादा या दान का उपयोग करने का प्रयास करेगा।

xiii. भारतीय कानून के तहत सभी कर और अन्य आवश्यकताएं/ब्योरे जहां लागू हों, दाता द्वारा पालन किया जाना/प्रदान किया जाना है।

xiv. जहां विदेशी नागरिकों या विदेशी कंपनियों से धर्मादा प्राप्त होता है, वहां कानूनों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

xv. विश्वविद्यालय संबंधित अंतर्निहित निधि के लिए दान/धर्मादा के प्रबंधन में होने वाली सभी उचित लागतों और खर्चों का शुल्क ले सकता है। हालाँकि, कुलपति की मंजूरी से इस तरह के शुल्क को माफ किया जा सकता है।

xvi. पोर्टल के माध्यम से मौद्रिक दान और धर्मादा केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में स्वीकार की जाएगी। पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण में कठिनाई होने की स्थिति में, वित्त अधिकारी द्वारा प्रमाणित निर्दिष्ट खातों में आरटीजीएस / एनईएफटी / आईएमपीएस के माध्यम से धर्मादा और दान स्वीकार किया जा सकता है। असाधारण मामलों में, भुगतान डीडी/चेक द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। कोई भी दान/धर्मादा नकद के माध्यम से स्वीकार नहीं की जा सकती।

xvii. जब तक छात्र विश्वविद्यालय से स्नातक नहीं हो जाता, तब तक किसी वर्तमान छात्र या उसके निकटतम परिवार के किसी सदस्य से कोई दान नहीं मांगा जाएगा या प्राप्त नहीं किया जाएगा।

xviii. यदि आईएमयू के कर्मचारी हितों के टकराव की स्थिति में हैं तो उन्हें सेवा के दौरान अपने नाम पर कोई धर्मादा/दान बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

E. जब तक अन्यथा उल्लिखित न किया जाए, धर्मादा पर निर्णय लेने के लिए कुलपति सक्षम प्राधिकारी हैं। मतभेद की स्थिति में, कुलपति द्वारा अनुमोदित व्याख्या अंतिम एवं बाध्यकारी होगी। संबंधित पहलू जो अध्यादेश में नहीं निपटाए गए हैं, उनका वित्त समिति और कार्यकारी परिषद की मंजूरी के साथ निपटान किया जाएगा।

F. आगे की वृद्धि के लिए नीति की तीन वर्ष की अवधि के बाद समीक्षा की जा सकती है।

दिनांक 03.09.2015 को आधिकारिक राजपत्र संख्या 305 में प्रकाशित 2015 का अध्यादेश 04 एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

के. सरवणन, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./765/2024-25]

INDIAN MARITIME UNIVERSITY

NOTIFICATION

Chennai, the 10th December 2024

F.No. IMU/HQ/ADM/Notification/2024/02— In exercise of the powers conferred by Section 47(1) of the Indian Maritime University Act,2008 (22 of 2008), the following Notification are published for general information:

#	Statute/ Ordinance/ Notification	Description	Executive Council Resolution
1	Ordinance No.3 of 2024	Terms and Conditions for Acceptance of Endowments and Donations.	Executive Council Resolution No.EC 2015-30-16 dated 25-02-2015 amended vide EC 2024-77-27 dated 07.05.2024.

Note: In case of any discrepancy between English and Hindi version of this document, the English version shall prevail.

Ordinance 03 of 2024
[Ordinance 04 of 2015 Amended vide EC 2024-77-27 dated 07-05-2024)

"Terms and Conditions for Acceptance of Endowments and Donations"

A. Terms and conditions of Endowments for Medals and Prizes or Scholarships or for Orations

1. The following is the financials of the different categories of monetary endowments:

	Medals and Prizes	**Scholarships**	**Orations**
Minimum Endowment [Any proposal with a value less than minimum can be treated as a donation]	Endowment for a Medal or Prize shall be Rs.1.00 lakh.	Endowment for a Scholarship shall be Rs.3.00 lakhs.	Endowment for an Oration to be delivered in IMU for the benefit of the students shall be Rs.5.00 lakhs.
Denominations & Maximum:	In multiples of 10000s. No maximum limit:		
Example:	For a minimum Endowment of Rs.1.00 lakh - assuming a Fixed Deposit interest rate of 8% per annum - a Medal / Prize of value approximately Rs. 8,000 can be given.	For a minimum Endowment of Rs.3.00 lakh - assuming a Fixed Deposit interest rate of 8% per annum - a Scholarship of value approximately Rs. 24,000 can be given.	For a minimum Endowment of Rs.5.00 lakh - assuming a Fixed Deposit interest rate of 8% per annum – an oration with an approx. cost of Rs. 40,000 may be incurred in a year towards orations

2. The year for the purpose of the endowment will be the academic year.

3. The amount shall be deposited by IMU in a Nationalised Bank in Fixed Deposit in such a way as to maximize, to the extent possible, the interest accruing to the Fixed Deposit.

4. The annual interest from the Fixed Deposit shall be utilized for Medals and Prizes / Scholarships / Orations every year.

5. If the awardee is in receipt of other prizes / awards, a suitable methodology will be adopted, with the approval of the Vice Chancellor, broadly in line with the donor's intent.

6. The name of the Medal or Prize / Scholarship / Oration, its purpose, and the segment of students / audiences to whom it can be given should be clearly specified by the donor. IMU will normally accept the donor's request in this regard. However, IMU reserves the right to reject the endowment or to make suitable modifications in the name or purpose or the segment of students / audiences to whom the Medal or Prize / Scholarship / Oration should be given if what was proposed by the donor is considered to be prejudicial to social harmony or law and order or academic excellence or is impractical / impossible to implement.

7. Subject to what is stated in (6) above, it shall be the prerogative of IMU to select the students for the Medal or Prize / Scholarship / Oration under intimation to the donor.

8. The Medal or Prize / Scholarship / Oration will normally be given / organised from the academic year immediately following the year of receipt of fund, for the endowment by IMU. If the donor wants the Medal or Prize / Scholarship / Oration to be given / organised within one year from the date of acceptance i.e. in the year of creation of an endowment, then an additional amount equal to the value of the Medal or the Prize / Scholarship / Oration amount to be given.

9. Two or more donors can institute an endowment jointly.

10. If for any reason the Medal or Prize / Scholarship / Oration could not be given / organised in a particular year, IMU shall arrange to give it as soon as it may be practicable.

11. If for any reason no student is found to be eligible to receive the Medal or Prize / Scholarship during a given year and if no oration could be organised during any year or if there is any other savings, such savings shall be added to the principal of the Fixed Deposit.

B. Terms and conditions concerning the other forms of Endowments

1. Endowment may be created for other developmental works, which are aimed at the overall development of students.

2. The University can accept Term Endowment which is set up for a specific period of time and when the term expires, the contributed principal amount may be used to fund operations.

3. The University can accept Quasi Endowment which would enable the University to spend the entire principal and income at any time at the discretion of the Competent Authority.

C. Terms and conditions concerning the Donations

1. IMU can receive donations apart from endowments which can be used directly to fund general activities or any specific activity as desired by the donor and acceptable by IMU.

2. Principal amount may also be utilized in case allowed by the donor.

3. Types of donations which can be accepted;

i. Monetary Donation:
Money can be transferred to IMU's designated account, through bank as per modes specified in para D (xvi).

ii. Non-Monetary Donation or In-Kind Donation
IMU can receive donations in the following non-monetary forms:

a) Shares and Securities [Note-1]: The donor may define usages and terms and conditions of sale of the shares / securities. In case there is no such conditions defined by donors, the Executive Council shall be vested with the right to decide how much and when to sell and also the usage.

b) Real Estate / Personal Property – The property can be given for a short / long-term lease or can be perpetually transferred. There are several options for giving real estate to IMU, depending on what the donor would like that gift to support. For example, if the donor's interest is student scholarships or bursaries, the property will be sold and the proceeds would go to establishing an endowment that would support financial aid for students. If the wish of the donor is that his / her property be used in a way that will support research and education, an agreement will be created between the donor and IMU that outlines expectations and obligations with respect to how the land will be used and for how long. Donations in the form of real estate shall be dealt with individually with the approval of the Finance Committee and Executive Council.

c) Planned donation: IMU as a beneficiary of insurance policies [Note-1] and legacies.

d) Books and manuscripts: The University library can receive books, including rare books and manuscripts from donors. Accepted material should be in good condition: clean, attached covers, intact bindings, no loose pages and no active or past damage from water or mold. These donations need to be relevant to` IMU's interests.

e) Lab equipment:

- The equipment intended to be donated must be in good condition and should be of relevance to IMU.
- The equipment shall comply with Environmental, Health & Safety norms, and be free of contamination, toxic oil and gas wastes, radiation and other potential hazards. The University has the right to inspect equipment in this regard.
- An equipment donation may be directed for use by a particular department, research centre or faculty member. However, IMU shall be the owner of all equipment donated, without exception. Equipment donated will not be the property of the faculty, staff or students, even if they may have been the primary contact or delivery point for the donation and the designated end user.
- In case the donated equipment ceases to function, the University has the right to repair or dispose it with the approval of Competent Authority.

f) Any other tangible collection.

g) Donation through Will / Bequest

An individual can choose to make the donation / gift unrestricted or restricted in the will.

The five main types of gifts that can be left in the will are:

- residual
- percentage or fractional
- whole or part of estate
- pecuniary or specific
- endowment gifts

Donation of this form shall be dealt with individually with the approval of the Finance Committee and Executive Council, in case the value of the will / bequest exceeds Rs. 10 Lakh.

[**Note-1**: Accepting these two modes would be subject to the framing of further guidelines by the IMU / Vice Chancellor.]

iii. When a donor makes a donation to the University, the donor may provide terms for the use of that donation. If the terms specify a particular purpose, the funds are "Restricted" to that purpose. If donor terms allow a donation to be used broadly within the University, it is deemed "Unrestricted". Both monetary and non-monetary donations can either be restricted or unrestricted.

4. Possible activities that can be undertaken with the funds so created / usage of the funds from donations and other forms of endowments:

i. Any activity which enhances academic / research in the University.

ii. Creation of and running Centres that are aligned with GoI / Ministry's plan or the University's overall vision, mission and objectives.

iii. R&D centres in collaboration with the private sector can be established, for which the shell infrastructure and students may be provided by the University. Students shall be provided the opportunity to conduct R&D activities with the latest technologies under expert supervision.

iv. To carry out the activities / development which are necessary to meet the objectives of the University.

v. To carry out the activities / development for the specific purpose for which the donation has been received.

vi. To carry out the activities / development which require Viability Gap Funding(VGF).

vii. To carry out the activities / development which are not viable even with VGF but can be implemented under the annuity model.

5. Recognition to donors

vi. The University would also have options for naming opportunities for donation.

a) Donors could name a classroom, a laboratory or a wing of an existing building.

b) Endow and name a School or an academic division or programme.

vii. All donations which require naming shall be approved by the Finance Committee and Executive Council of IMU including in the case of a donation-requiring naming of a School, Department, Faculty, Chair or any infrastructure.

viii. IMU from time to time, shall set the minimum donation level for naming opportunities.

ix. If a donor who has been offered a naming opportunity by the University falls into disrepute, the University reserves the right to discontinue the use of the relevant name.

x. For minor donations i.e. not covered in Clause 5 (i) & (ii) above, acknowledgements can be displayed with the approval of the Vice Chancellor.

D. Broad scheme of things for Donations and Endowments and other General Terms & Conditions:

Broad scheme of things:

i. The University will prepare a wish list and publish on the website which will be updated periodically. The list will be illustrative and not exhaustive.

ii. Before accepting any donation, the following points may be assessed;

c) Is the purpose and conditions of the donation compatible with the objectives of the University?

d) Are they reasonable and sustainable?

iii. All endowments and donations will be used only for the benefit of Indian Maritime University, its programmes, its faculty, staff and students.

iv. All funds will be used as intended by the donors, to the extent possible and to the extent conform to IMU norms and objectives.

v. There should be a committee approved by the Vice Chancellor to govern the fund usage. Responsibilities of the committee to be laid down. A campus level report shall be sent to the committee every six months.

vi. If the donor agreements contain conditions or provisions such as membership to an advisory board or access to proprietary research, IMU shall determine if the conditions are acceptable and accordingly accept or negate the charitable donation.

vii. In case of procurements to be met exclusively out of the funds from donations / endowments, the donor(s) of the fund can decide the scope of work, method of procurement including single sourcing, eligibility of vendor, provided the need for the work is justified by the IMU with the approval of the Vice Chancellor.

viii. For each monetary endowment fund / donations, a separate fund / ledger shall be created which shall be earmarked for the purpose of endowment fund / donation till the endowment fund / ledger is fully utilised. Donated Assets / Inventory will be added to the Asset Register or Accession Register or Inventory Register or Estate Register, as applicable. Administration of assets and ownership shall always be with IMU.

ix. Those intent to create endowment or make donation in IMU are encouraged to contact the Nodal office in HQ or Campus Directors directly to discuss donation options. The University will assist in customizing options to suit donor needs.

Other General Terms and Conditions

x. All endowments and donations will be governed by applicable University policies.

xi. An endowment / donation once created in IMU is irrevocable and the donor or his heirs / successors / assignees cannot ask for it to be returned. An endowment / donation is deemed to be created when IMU has issued a letter to the donor intimating him of the acceptance of his endowment / donation.

xii. IMU shall, preferably in consultation with the donor / endower, have the power to make changes regarding the purpose of the donation or endowment, which has in whole or in part ceased to provide a suitable or effective way of using the relevant endowment or donation and the University shall endeavor to use the endowment or donation for such purposes as nearly as possible akin to the original purpose of the endowment or donation.

xiii. All tax and other requirements / details under Indian law where applicable are to be adhered to / provided by the donor.

xiv. Where endowments are received from foreign nationals or foreign companies, due compliance with the laws should be ensured.

xv. The University may charge all reasonable costs and expenses incurred in administering a donation / endowment to the relevant underlying fund. However, such charging may be waived with the approval of the Vice Chancellor.

xvi. Monetary donations and endowments will be accepted only in Electronic mode through the portal. In case of a difficulty to transfer through the portal, endowments and donations can be accepted through RTGS / NEFT / IMPS in the designated accounts as authenticated by the Finance Officer. In exceptional cases, the payments can be accepted by DD / cheque. No donation / endowment can be accepted through cash.

xvii. No donation will be solicited or received from a current student or any member of their immediate family until such time as the student has graduated from the University.

xviii. IMU's employees will not be allowed to create any endowment / donation in their name while in service if they are in a conflict of interest position.

E. Unless otherwise stated, the Vice Chancellor is the Competent Authority to decide on the endowment. The interpretation approved by the Vice Chancellor shall be the final and binding, in case of differences. Related aspects which is not dealt with in the ordinance, will be transacted with the approval of the Finance Committee and Executive Council.

F. The policy may be reviewed after a period of three years for further enhancements.

The Ordinance 04 of 2015 published in the Official Gazette No. 305 dated 03.09.2015 is hereby repealed.

K SARAVANAN, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./765/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2024.12.19 11:14:59 +05'30'